

समाचार पत्रों की कतरनें

जुलाई, 2026

दिव्य हिमाचल ,दिनांक 24 जुलाई 2026

हिमाचल में सड़कों का होगा रोड सेफ्टी ऑडिट सीएम बोले, पांच चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया, पीडब्ल्यूडी खोलेगा रोड सेफ्टी सैल

दिव्य हिमाचल व्यू- शिमला

वर्ष 2023 को तुलना में वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की कमी आने के बावजूद राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा को और अधिक सद्द करने के उद्देश्य से एक और अहम कदम उठाया है।

राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाली सड़कों के लिए सड़क सुरक्षा ऑडिट नीति लागू करने को मंजूरी प्रदान की है, ताकि सड़क सुरक्षा को राज्य में सड़कों की योजना, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। इस नीति के



■ रोड डीपीआर लागत का एक फीसदी हिस्सा अनिवार्य रूप से ऑडिट पर खर्च होगा

ऑडिट में अनुभवी अधिकारी ही लगाएंगे

इस नीति के अनुसार सड़क सुरक्षा ऑडिट केवल भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा प्रमाणित 'रोड सेफ्टी ऑडिटर' अथवा ऐसे विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी करेंगे, जिन्होंने 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा ऑडिट प्रमाणन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो तथा पर्वतीय सड़कों के निर्माण का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखते हों। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया है कि ऑडिटर स्वतंत्र हों और जिस परियोजना का ऑडिट कर रहे हों, उसके निर्माण, क्रियान्वयन या संचालन से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध न हो।

अंतर्गत किसी भी सड़क परियोजना के पांच अहम चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। इनमें व्यवहार्यता अथवा प्रारंभिक डिजाइन चरण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)

चरण, निर्माण चरण, सड़क को यातायात के लिए खोलने से पूर्व का चरण तथा पहले से निर्मित सड़कों का ऑडिट शामिल है। व्यवहार्यता चरण में ऑडिटर मार्ग चयन, सड़क की अलाइनमेंट,

चौराहों, क्रॉस-सेक्शन तथा मौजूदा सड़क नेटवर्क से संपर्क का परीक्षण करेंगे। विस्तृत डिजाइन चरण में ज्यामितीय डिजाइन, सड़क संकेतक, सड़क हिमाचल में सड़कों : पृष्ठ 68 पर

चिह्निकन, प्रकाश व्यवस्था, संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाएं तथा सड़क किनारे सुरक्षा प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। संस्थागत व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में एक समर्पित 'रोड सेफ्टी सैल' स्थापित किया जाएगा। यह सैल सड़क सुरक्षा ऑडिट कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा, प्रगति का आकलन करेगा, वीग्य ऑडिटरी का पैनेल तैयार करेगा, अनुपालन रिपोर्टों को समीक्षा करेगा तथा अभिरूपाओं और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि विभाग के अभिरूपा-प्रमुख द्वारा प्रत्येक तिमाही में कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी, ताकि इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें। नीति का एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली प्रत्येक सड़क परियोजना में सड़क सुरक्षा ऑडिट के लिए परियोजना लागत का एक प्रतिशत अनिवार्य रूप से निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सड़क संकेतकों, सड़क चिह्निकन, यातायात शांत करने के उपायों, कार्यस्थल प्रबंधन, पैदल यात्री सुविधाओं, साइकिल ट्रैक, पर्वतीय सड़कों, सुरक्षा अवरोधकों, चौराहों तथा ज्यामितीय डिजाइन संबंधी भारतीय सड़क कांग्रेस के विभिन्न मानकों एवं मैन्युअलों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हिमालय प्रदेश में निर्मित सड़कें सर्वोच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री सुख्ख ने कहा कि सुरक्षित सड़कें न केवल दुर्घटनाओं को रोकती हैं और लोगों का जीवन बचाती हैं, बल्कि राज्य में आर्थिक विकास तथा बेहतर संपर्क व्यवस्था को भी बढ़ावा देती हैं।

अमर उजाला ,दिनांक 24 जुलाई 2026

प्रदेश में 1263 सड़क हादसों से 518 लोगों ने गवाई जान

■ छह महीने में 2028 लोग घायल ■ सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस ने लागू किया ईडार 'डिजिटल कवच' ■ प्रदेश में शाम छह से नौ बजे तक हो रहे सबसे ज्यादा हादसों

स्टाफ रिपोर्टर-शिमला



हादसा

हिमाचल प्रदेश में छह माह में 1263 सड़क हादसों में 518 लोगों ने जान गवाई है, जबकि 2028 लोग घायल हुए हैं। प्रदेश में बढ़ रहे सड़क हादसों को कम करने के लिए ट्रैफिक ट्रिस्ट

रेलवे पुलिस ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। राज्य भर में ईडार प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर दिया है। इस डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से दुर्घटनाओं का न केवल पंजीकरण होगा, बल्कि उनके कारणों और पैटर्न का वैज्ञानिक विश्लेषण कर समय रहते रोकथाम भी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जनवरी से दस जुलाई तक साढ़े छह महीने में हिमाचल प्रदेश में विभिन्न जगहों पर पेश आए 1263 सड़क हादसों में 518 लोगों ने जान गवाई है। इसके अलावा 2028 लोग इन सड़क हादसों में घायल हुए हैं, जिसमें 415 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस का उद्देश्य ईडार के जरिए इन आंकड़ों को जड़ से कम करना है।

यह प्रणाली दुर्घटना के समय, स्थान, कारण, वाहन और पीड़ित से जुड़ी हर जानकारी को डिजिटल रूप से दर्ज करती है, जिससे भविष्य की रणनीति तय की जा सके। डीआईजी टीटीआर संजीव गांधी ने कहा कि ईडार केवल रिपोर्टिंग का माध्यम नहीं है, बल्कि यह ब्लैक स्मॉट्स की पहचान कर वहां पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करता है। प्रदेश में शाम छह से नौ बजे तक, डेंजर विंडो घोषित की गई है, इस समय सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। ट्रैफिक, ट्रिस्ट एवं रेलवे विंग के डीआईजी संजीव गांधी ने बताया कि वैज्ञानिक अध्ययन में शाम छह से नौ बजे का समय सबसे अधिक जोखिम वाला पाया गया है।

आम लोगों के लिए ईडार के तीन फायदे

ईडार पोर्टल दुर्घटना स्थल और न्याय प्रणाली के बीच एक मजबूत कड़ी है। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और पीड़ितों को जल्दी राहत मिलती है। आम लोगों के लिए ईडार के तीन बड़े फायदे हैं, जिसमें डिजिटल रिपोर्टिंग से सीधे मदद मिलेगी और 1.5 लाख तक केशलेस इलाज, दुर्घटना की जानकारी ईडार पर दर्ज होने पर पीड़ित को तुरंत केशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। फास्ट-ट्रैक बीमा दावा डिजिटल रिपोर्ट सीधे मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को भेजी जाती है, जिससे बीमा वलेम जल्दी निपटता है।

दुर्घटना पीड़ितों की मदद पर इनाम

'राह-वीर' योजना का लाभ जिसमें दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को इनाम और कानूनी सुरक्षा तभी मिलेगी, जब घटना ईडार में दर्ज होगी। डीआईजी टीटीआर संजीव गांधी का कहना है कि यातायात प्रबंधन में, विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में, ट्रैफिक ट्रिस्ट रेलवे पुलिस अधिकारी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है।

दुर्घटना रोकने की कार्ययोजना



तकनीक, सख्ती और सुधार, शाम छह से नौ बजे तक सघन पुलिस गश्त, स्पीड कैमरों और अल्को-सेंसर से निगरानी, अवैध पार्किंग पर तुरंत कार्रवाई,

खतरनाक पहाड़ी मोड़ों पर हाई-विजिबिलिटी साइन बोर्ड, सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश आज सतर्क, तो कल सुरक्षित, सतर्क रहें आज, जीवित रहें कल, रपतार रोमांच देती है, पर जान भी ले सकती है, धीरे चलें, पहाड़ गलतियां माफ नहीं करते।

333 सड़क हादसों में पीड़ितों का कैशलेस इलाज

हिमाचल में पीएम राहत योजना शुरू, पहली मार्च से 22 जुलाई 2026 तक घायलों को मिला लाभ



स्टाफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित और कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। एक मार्च 2026 से 22 जुलाई 2026 के बीच प्रदेश में 333 सड़क दुर्घटना पीड़ितों को इस योजना का लाभ मिला। सबसे अधिक 128 पीड़ितों का उपचार

एम्स बिलासपुर में हुआ, जबकि लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, नैरचौक (मंडी) में 125 घायलों का कैशलेस इलाज किया गया। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में अधिकतम सात दिनों तक 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। योजना का उद्देश्य दुर्घटना के बाद के गोल्डन आवर में तुरंत चिकित्सा

सुविधा देकर जान बचाना और मृत्यु दर को कम करना है। हिमाचल प्रदेश में इस योजना का संचालन हिमाचल प्रदेश पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, परिवहन विभाग तथा सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों के संयुक्त समन्वय से किया जा रहा है। इसके लिए ई-डिजिटल एक्सीडेंट रिपोर्ट और ट्रैजिकेशन मैनेजमेंट

सिस्टम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि घायल व्यक्ति या उसके

■ सात दिन तक 1.5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा

परिजन को इलाज शुरू कराने से पहले किसी भी प्रकार की पुलिस या कानूनी औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पहली मार्च से 22 जुलाई 2026 के बीच 333 पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को योजना के तहत स्वीकृति दी गई। इस दौरान हिमाचल प्रदेश पुलिस ने 98 प्रतिशत पुलिस रिसर्पॉन्स रेट दर्ज किया, जो मामलों के त्वरित निस्तारण और प्रभावी समन्वय को दर्शाता है।

ऐसे लें योजना का लाभ

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत निकटतम सूचीबद्ध अस्पताल पहुंचाएं। दुर्घटना की सूचना 112 नजदीकी पुलिस थाना या अस्पताल को दें। अस्पताल टीएमएस 2.0 पर पंजीकरण करेगा और पुलिस ई-डार प्रक्रिया पूरी करेगी। पात्र पाए जाने पर घायल को 1.5 लाख तक सात दिन का कैशलेस उपचार बिना किसी अग्रिम भुगतान के मिलेगा।

जनता से अपील

सरकार ने आम जनता, अस्पतालों और सभी संबंधित विभागों से अपील की है कि प्रत्येक पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ित को समय पर पीएम राहत योजना से जोड़ा जाए, ताकि बिना आर्थिक बोझ, बिना देरी और बिना कानूनी डर के जीवनरक्षक उपचार सुनिश्चित किया जा सके।

26 राहवीरों ने सड़क हादसों में घायलों की जिंदगी बचाई

कार्यालय संवाददाता - शिमला

सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के लिए आगे आने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित राहवीर (गुड समैरिटन) योजना हिमाचल प्रदेश में भी प्रभावी साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक 26 लोगों को राहवीर के रूप में सम्मानित किया जा चुका है, जबकि 11 मामले अभी स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक मामले मंडी जिले से जुड़े हैं, जबकि एक मामला चंबा जिला का है। प्रदेश में अब तक रामपुर क्षेत्र से नौ, धर्मशाला से पांच, सिरमौर से पांच, हमीरपुर से पांच और शिमला से दो लोगों को सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय रहते सहायता करने पर सम्मानित किया गया है। इन लोगों ने हादसे के बाद घायल को बिना देर किए अस्पताल पहुंचाया, जिससे गोल्डन आवर के दौरान उपचार शुरू हो सका। प्रदेश में जिन लोगों को राहवीर योजना के लिए सम्मानित किया गया है उनमें धर्मशाला में पांच, रामपुर में नौ, सिरमौर में पांच, हमीरपुर में पांच, शिमला में दो लोगों को सड़क दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मदद



करने पर सम्मानित किया गया है।गत वर्ष जनवरी 2025 से लेकर बात की जाए, तो पालमपुर के घूसर गांव के सुरेश वर्मा को इस योजना के तहत पीड़ित की सहायता करने पर पांच हजार रुपए देकर

पुरस्कृत किया गया है। वहीं धमेडा फतेहपुर के सुभाष चंद, निक्का सिंह गांव समकार धमेडा, मनजीत कुमार नगरोटा बगवां, परवेश शर्मा नगरोटा बगवां, मनमोहन सिंह, कल्पा, कुलदीप सिंह रामपुर, विक्रान्त सांगला, रूपीन सांगला, निखिल सांगला, भूपेश सांगला, सुंदर सिंह सांगला, नरेश, जानी किन्नौर, महेंदर सिंह जिनखडी हमीरपुर, संदीप ठाकुर, धीमरानी हमीरपुर, महेश कुमार टिकरी राजगढ़, लक्ष्मी सिंह दियोठी मंडगांव राजगढ़, कपिला मेलाशाकेन राजगढ़, भरत जुनेली किन्नौर, अरून् कुमार पनोग सिरमौर को राहवीर योजना के तहत पीड़ितों की मदद के लिए पांच-पांच हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगस्त, 2025 से इस योजना के तहत इनाम राशि में बढ़ोतरी हुई, जिसके तहत एक पीड़ित की जान बचाने को लेकर किए गए अच्छे कार्य के लिए सरकार द्वारा 25 हजार रुपए प्रदान करने की घोषणा की गई। इसके

■ गोल्डन आवर में जख्मी को अस्पताल पहुंचाने पर मिलते हैं 25 हजार रुपए

तहत नरेंद्र सिंह बालवट उत्तराखंड अमित चौहान धेचनू उत्तराखंड को 12500 रुपए दोनों को इनाम के तौर पर प्रदान किए गए।

यह है राहवीर योजना

केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 की धारा 134-ए के तहत वर्ष 2020 में गुड समैरिटन नियम लागू किए थे। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हादसे के एक घंटे यानी गोल्डन आवर के भीतर अस्पताल पहुंचाने या समय पर चिकित्सा सहायता दिलाने में मदद करता है, तो उसे राहवीर माना जाता है।

ऐसे मिलता है लाभ

योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति का मामला जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है। जांच में यह पुष्टि होने पर कि व्यक्ति की मदद से घायल को गोल्डन आवर के भीतर चिकित्सा सुविधा मिली, उसका प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजा जाता है। स्वीकृति मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को 25 हजार रुपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। यदि एक ही पीड़ित की मदद कई लोगों ने मिलकर की हो, तो पुरस्कार राशि उनके बीच बांटी जाती है।

मदद करने वालों को कानूनी सुरक्षा भी

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले राहवीर को पुलिस या अदालत की अनावश्यक पुछताछ का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वह गवाह नहीं बनना चाहता, तो उसे अपनी पहचान बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अस्पताल भी इससे इलाज का खर्च नहीं मांग सकता और घायल को भर्ती कराने के बाद वह तुरंत वहां से जा सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि